**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**राजस्व विभाग**

**राज्यसभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1842**

(जिसका उत्तर मंगलवार दिनांक 04 अगस्त**,** 2026/13 श्रावण**,** 1948 (शक) को दिया जाना है)

## राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की देय धनराशि

**1842. श्री विवेक के. तन्खा**:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राज्यों को बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की कुल धनराशि कितनी है;
(ख) ऐसे बकाया देयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) धनराशि जारी करने में विलंब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं; और
(घ) वह समय-सीमा क्या है जिसके भीतर सभी लंबित बकायों के पूर्ण भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**
**वित्त राज्य मंत्री**
**(श्री पंकज चौधरी)**

(क) से (घ): वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनंतिम आंकड़ों के लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ मिलान से हुई अंतिम क्षतिपूर्ति सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, अरुणाचल प्रदेश से उक्त वित्तीय वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून, 2022) की अवधि के लिए एजी प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की वजह से इस राज्य को छोडकर, को जारी कर दी गई है।

*****